



**अति-अल्पकालीन खुली निलामी सूचना**

**NIQ NO.-39/E&M/MMC/2021-22** 546/या

दिनांक 25/03/2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर भवन मुजफ्फरपुर के जीर्णोद्धार के क्रम में पुराने जर्जर G.I Sheet जो पूर्णतः छतिग्रस्त है, जहाँ है जैसे है के आधार पर दर आकलित करते हुए मुहरबंद निलामी हेतु दिनांक- 30/03/2022 अपराह्न 02:00 बजे तक निलामी आमंत्रित की जाती है। निलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/एजेंसी से दिनांक- 30/03/2022 को अपराह्न 02:00 बजे तक कार्यपालक अभियंता, नगर निगम मुजफ्फरपुर के कार्यालय कक्ष में मुहरबंद लिफाफा में निलामी दर जमा ली जाएगी। निर्धारित समय सीमा तक प्राप्त मुहरबंद निलामी दर पर ही विचार किया जायेगा। नियम एवं शर्त की जानकारी मुजफ्फरपुर नगर निगम के वेबसाईट <https://mymmc.org> एवं NIC मुजफ्फरपुर के वेबसाईट <https://muzaffarpur.nic.in> से प्राप्त की जा सकती है।

**निलामी का विवरण**


क्र० सं०	निलामी वस्तु का विवरण	न्यूनतम निलामी शुल्क	अग्रधन (डी०डी० के रूप में)	निलामी में भाग लेने हेतु शुल्क (अप्रत्यर्पणीय) (डी०डी०के रूप में)	निलामी प्रतिभागी द्वारा उद्धत दर (सभी कर सहित)
01	नगर भवन मुजफ्फरपुर के पुराने जर्जर G.I Sheet की निलामी	23,900.00	2400.00	1000.00	

**निलामी की शर्त निम्न प्रकार है:-**

01. नगर भवन मुजफ्फरपुर के पुराने जर्जर G.I Sheet जहाँ है जैसे है की निलामी मुहरबंद डाक द्वारा उच्चतम निलामी दर वक्ता के साथ की जायेगी।
02. निलामी दर अंकित करने के पूर्व प्रतिभागी स्वयं स्थल निरीक्षण कर वर्णित स्थल के मलवा की जानकारी लेकर ही मुहरबंद निलामी में भाग लेंगे। इस संबंध में निलामी के उपरांत डाककर्ता का किसी भी प्रकार का दावा/विवाद मान्य नहीं होगा।
03. उच्चतम निलामी दर के व्यक्ति/एजेंसी को छोड़कर शेष व्यक्ति/एजेंसी को केवल जमानत की राशि निलामी प्रक्रिया के सात दिनों के बाद वापस कर दिया जाएगा।
04. उच्चतम निलामी दर के व्यक्ति/एजेंसी को कार्यादेश निर्गत के 24 घंटे के अन्दर शेष निगम कोष में जमा करनी होगी। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब होने की स्थिति में जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब होने की स्थिति में जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। अधिकतम निलामी बोली के अलावे नियमानुकुल GST + IT देना होगा।

05. उच्चतम निलामी मुल्य लगाकर निलामी की सामग्री नहीं लेने वाले व्यक्ति की जमानत की राशि जब कर ली जायेगी।
06. उच्चतम निलामी दर के व्यक्ति/एजेंसी को निगम कोष में निलामी जमा करने के उपरांत 05 (पाँच) दिनों के अन्दर निलाम किये गये सामग्रियों को उक्त स्थान से हटा लेना होगा।
07. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निलामी को निलम्बित करने, स्थगित करने, तिथि बढ़ाने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
08. विस्तृत जानकारी के लिये किसी भी कार्यालयीय कार्य दिवस में कार्यपालक अभियंता, नगर निगम मुजफ्फरपुर से सम्पर्क कर सकते हैं।
09. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/एजेंसी को मुहरबंद निलामी के समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र की छाया प्रति स्व-अभिप्रमाणित संलग्न करना आवश्यक होगा।

कोटेशनदाता का हस्ताक्षर

  
(विवेक रजन मैत्रेय)  
नगर आयुक्त,  
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।